मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1994 (फाल्गुन 27, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

(1) पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, का पंचायत मंत्री से पूछा गया अल्प सूचना प्रश्न क्रमांक-1

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर नगर के जलबिहार मेला मैदान पर दुकानों का निर्माण होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम दरारिया में एक आदिवासी पर हुए हमले की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्रीमती करूणा शुक्ला, श्री छतराम देवांगन, श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, जल संसाधन विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना के बांध से पानी छोड़ने से रायपुर एवं बिलासपुर जिले के अनेक ग्रामों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री अरूण वोरा, सदस्य, रायपुर के एक शासकीय चिकित्सालय में अविवाहित युवक की नसबन्दी करने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री रामलखन शर्मा, निर्भय सिंह पटेल, बाबूलाल गौर, सदस्य, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिकल्स कारखाने को बैंक गारन्टी न देने से उत्पादन बन्द होने की ओर राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डा. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा के सिंधी चौराहे में लूट की घटित घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डा. रामलखन सिंह, श्री बंशीलाल जाटव, श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य भिण्ड एवं मुरैना जिले के अनेक ग्रामों में चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री ताराचन्द साहू, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, बाबूलाल गौर, सदस्य, दुर्ग में महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति से सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डा. कन्हैयालाल शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले की कसडोल कृषि उपज मंडी में धान की खरीदी में की जा रही अनियमितता की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य, रीवा शहर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री दिलीप भटेरे, लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय में व्यवधान से कृषकों की फसलें नष्ट होने की ओर राज्यमंत्री (उर्जा) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री थावरचन्द गेहलोत, सदस्य, रतलाम स्थित सज्जन मिल के बंद होने से श्रमिको में फैल रही बेरोजगारी की ओर राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री प्रभुसिंह ठाकुर, गोपाल भार्गव, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम गौरमुड़ी के ग्रामीणों को उड़ीसा राज्य के बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा आतंकित करने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री गौरी शंकर बिसेन, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में इल्ली के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री गौरीशकर बिसेन, गोपाल भार्गव, लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट के निकट नक्सलवादियों द्वारा एक बस एवं ट्रक को जलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री बनवारीलाल, सदस्य, बिलासपुर जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री गोपाल भार्गव, सदस्य, सागर जिले के गढ़ाकोटा थानान्तर्गत एक स्कूली बालक की हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा जिले में इल्ली के प्रकोप से फसलों को हुई क्षति की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री राजाराम तोड़ेम, सदस्य, बस्तर जिले के मधेड़ थाने के उप निरीक्षक द्वारा निवासियों के विरूद्ध अकारण कार्यवाही किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री सुकीर्ति जैन, सदस्य, कटनी तहसील के ग्राम बड़गांव में गौवंश की हो रही हत्याओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर संभाग में नीलगाय द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री कैलाश चावला, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम मेरियाखेड़ी निवासी एक व्यक्ति के साथ पुलिस एवं आबकारी कर्मियों द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री अरूण वोरा, सदस्य, बस्तर में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन की ओर खनिज साधन, मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) डा. चेतन सिंह वर्मा, सदस्य, शिवनाथ नदी में बाढ़ से बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों की फसल नष्ट होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर जिले में दूध के भावों में हुई वृद्धि की ओर डेयरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री बाबूलाल गौर, रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम लाड़कुई के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस अत्याचार के कारण आत्महत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. संविहित संकल्प

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा के विघटन के दौरान राष्ट्रकुल संसदीय संघ की आस्थगित की गई सदस्यता को पुनर्जीवित करने के लिये राष्ट्रकुल संसदीय संघ से अनुरोध करता हैं."

4. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय	
30 मि.	(1) मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की 30 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पर चर्चा.
1 घन्टा 30 मि.	(2) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा.

5. अशासकीय संकल्प

40 मि. (1) सर्वश्री गोपाल परमार, छतराम देवांगन, रविन्द्र चौबे, पुन्नूलाल मोहले, बनवारीलाल, नानालाल पाटीदार, जालम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के विस्तृत क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, परम्परायें, कानून व्यवस्था तथा जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अलग कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाये जाने की शासन आवश्यक पहल प्रारंभ करे."

30 मि. (2) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर) सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त अशासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को शासन द्वारा अधिग्रहीत कर समस्त अशासकीय शिक्षकों को कोषालय से वेतन भुगतान कराया जाय."

15 मि. (3) श्री करणसिंह वर्मा, युवराज तुकोजीराव पवार, श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के धर्म स्थलों की व्यवस्था, रख-रखाव हेतु "राज्य धर्मस्व मण्डल" का गठन किया जाय."

20 मि. (4) श्री ईश्वर दास रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि पश्चिम पाकिस्तान से मध्य प्रदेश में आये ऐसे विस्थापित सिंधी परिवार, जिनको धारित भूमि के पट्टे अभी तक नहीं दिये गये हैं, के प्रकरणों का निपटारा कर उन्हें तीन माह के भीतर स्थायी पट्टे दिये जायं."

15 मि. (5) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का मत है कि रायगढ़ जिले को सीधी ट्रेन सेवा से भोपाल से जोड़े जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय."

6. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 22 फरवरी, 1994 को पशुपालन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 79) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 25 फरवरी, 1994 को स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 704) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 17 मार्च, 1994

बीना [illegible]
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा